मुख्यमंत्री सबके लिये विद्युत योजना

इस योजना के अन्तर्गत घरेलू कनेक्शन देने के लिये दिशा निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. 100 से कम जनसंख्या वाली आबादी की अविद्युतीकृत ढ़ाणियों में कनेक्शन दिये जायेगें।
2. सिर्फ उन्ही आवेदकों को कनेक्शन जारी किया जायेगा जो वर्तमान में स्थापित 11 केवी लाईन से अधिकतम 1 किमी दूरी के अन्दर आते हों।
3. कम से कम 10 आवेदकों का समूह होने पर तथा एलटी केबल की लम्बाई 1 किमी तक होने पर ही कनेक्शन दिये जायेगें।
4. प्रार्थना पत्र की राशि 200/– रू. प्रति कनेक्शन होगी जो लौटायी नहीं जायेगी।
5. प्रत्येक आवेदक से कनेक्शन जारी करने हेतु मात्र रू. 3500/– प्रति आवेदक लिये जायेगें।
6. प्रत्येक समूह के लिये बनने वाली योजना की कुल लागत रू. 2.50 लाख तक सीमित कर बनाई जायेगी।
7. कनेक्शन देने में प्राथमिकता सबसे ज्यादा आवेदकों की संख्या वाले समूह को दी जावेगी।
8. इस योजना में आवेदन प्राप्त करने की अवधि 31.3.2010 तक थी।

टीएसपी क्षेत्र के लिये रियायत

9. जनजाति/रेगिस्तानी जिलों में 6 आवेदकों को भी समूह माना जावेगा।
10. टीएसपी क्षेत्र में 50 तक की आबादी वाले छितराये हुये आवेदकों के लिये 3.0 किमी (11 केवी व एलटी लाईन) एवं 50 से 100 के बीच आबादी वाले आवेदकों के लिये 5 किमी (11 केवी व एलटी लाईन) मय उचित क्षमता के सब–स्टेशन स्थापित कर विद्युतीकरण विस्तार कार्य किया जावे।
11. राजस्थान में टीएसपी क्षेत्र में रह रहे छितराये हुये आवेदकों से प्रार्थना पत्र की राशि 200/– रू. प्रति कनेक्शन ली जावे जो लौटायी नहीं जावेगी। ऐसे प्रत्येक आवेदक से कनेक्शन जारी करने हेतु मात्र रू. 3500/– प्रति आवेदक Tribal Area Development Department द्वारा दी जाने पर ही यह बिन्दु सं. 10 पर प्रस्तावित योजना लागू होगी।